झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

रिट याचिका (एस) संख्या 2032/2020

1. भारत संघ, महानिदेशक, डाक विभाग, डाक भवन, संसद मार्ग, डाकघर और थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के माध्यम से

2. मुख्य पोस्टमास्टर, जनरल, झारखंड सर्कल, रांची, डाकघर डोरंडा, थाना डोरंडा, रांची- 2

3. लेखा निदेशक (डाक), पटना, डाकघर जी.पी.ओ. पटना, डाकघर, पटना, थाना कोतवाली थाना, पटना, बिहार।

4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रशासन I , पटना , डाकघर, पटना, थाना कोतवाली थाना, पटना, बिहार।

याचिकाकर्ता संख्या 1 से 4 ने मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, झारखंड सर्कल, डाकघर डोरंडा, थाना डोरंडा, रांची- 2 के कार्यालय में सहायक पोस्ट मास्टर जनरल का विधिवत प्रतिनिधित्व किया ... याचिकाकर्ता

बनाम

रतन कुमार कपूर, पिता- स्वर्गीय त्रिलोकी नाथ कपूर, निवासी डी/141, पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग, सहायक लेखा अधिकारी आईसीओ (एसबी), मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, झारखंड सर्कल, पीओ डोरंडा, पीएस डोरंडा, रांची- 2 के रूप में कार्यरत।

वर्तमान में निवासी: सी/ओ- श्री अशोक कुमार, सहायक लेखाधिकारी, गौरी शंकर नगर,डाकघर- रांची। ... आवेदक/प्रतिवादी

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री अनिल कुमार सहायक सॉलिसिटर जनरल, भारत
श्री अभिजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए: श्री सुनील कुमार महतो, अधिवक्ता

श्री किशोर कुमार मिश्रा अधिवक्ता

आदेश संख्या 12: दिनांक 21 मार्च, 2024

सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति द्वारा:

प्रार्थना:

1. तत्काल रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें 16.02.2018 के आदेश के खिलाफ निर्देश दिया गया है, जिसे विज्ञ केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, पटना बेंच, पटना सर्किट कोर्ट, रांची द्वारा ओ.ए. संख्या 051/185/2016 में जिसके तहत और जिसके तहत मूल आवेदन को अनुमति देते समय, रिट याचिकाकर्ता, जो मूल आवेदन में प्रतिवादी थे, को एओ और सहायक लेखा अधिकारी के बीच पिछले वेतन/पारिश्रमिक के अंतर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है का आदेश पारित किया गया था दिनांक 11.01.2016 की तारीख के प्रभाव, आवेदक ने आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एओ, आईसीओ (एसबी) सर्कल कार्यालय के कर्तव्यों का पालन किया है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

2. रिकॉर्ड पर उपलब्ध दलीलों के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

3. आवेदक जिसे प्रारंभ में डाक विभाग में नियुक्त किया गया था, को सहायक मुख्य लेखा द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 17.03.2015 द्वारा यूआर श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्ति के लिए 03.02.2015 से एससीएफ (10%) कोटा के तहत 4800/- रुपये के ग्रेड वेतन

के साथ 9300-34800 रुपये के पीबी -2 में सहायक लेखा अधिकारी (एएओ) के पद पर पदोन्नत किया गया था। अधिकारी प्रशासन-1, लेखा निदेशक (डाक), पटना जी.पी.ओ. दिनांक 16.12.2015 के आदेश के तहत आवेदक का तबादला झारखंड सर्किल में मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, झारखंड सर्किल के कार्यालय में एओ आईसीओ (एसबी) के रिक्त पद पर किया गया था। इसके बाद, आंशिक संशोधन के माध्यम से, दिनांक 16.12.2015 के आदेश के तहत आवेदक के स्थानांतरण के संबंध में संशोधित नियम और शर्तें, दिनांक 17.12.2015 के शुद्धिपत्र के माध्यम से जारी की गईं, जिसके अनुसार, आवेदक को बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के अगले आदेश तक एओ के कर्तव्यों और पदों की देखभाल करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि, उसे स्वीकार्य नियमों के अनुसार टीए / डीए का दावा करने की अनुमति दी गई थी।

4. यह कहा जाता है कि आवेदक ने 11.01.2016 को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद का कार्यभार संभाला था। इसके बाद, आवेदक वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में अपनी सेवा निर्बाध रूप से प्रदान कर रहा था और इस तरह, वह मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, झारखंड सर्कल के आंतरिक वित्तीय सलाहकार (आईएफए) के कर्तव्यों का पालन कर रहा था। इस संबंध में, आवेदक द्वारा दिनांक 25.04.2016, 3.06.2016 और 19.08.2016 के विभिन्न कार्यालय आदेशों पर भरोसा किया जाता है।

5. इसके अनुसरण में, आवेदक ने दिनांक 16.2.2016, 10.3.2016 और 8.8.2016 को बार-बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, जिसमें सक्षम प्राधिकारी से उसके वेतन और ग्रेड वेतन 5400/- रुपये के निर्धारण का अनुरोध किया गया था, क्योंकि उसे एओ/सीनियर एओ, आईसीओ (एसबी), झारखंड सर्कल के पद पर तैनात किया गया है, और वह प्रतिवादी-प्राधिकारी के आदेश दिनांक 16/17.12.2015 के अनुपालन में एओ कैडर के पद के कर्तव्यों का पालन कर रहा है।

6. आवेदक ने महेश चंद्र राय बनाम भारत संघ और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अन्य के मामले में 2013 के ओए संख्या 7 में पारित आदेश पर भरोसा किया , जिसमें यह माना गया था कि आवेदक दावा किए गए पारिश्रमिक का हकदार है। लेकिन आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए, आवेदक ने अपनी शिकायत को व्यक्त करते हुए मूल आवेदन दायर करके विद्वान ट्रिब्यूनल से संपर्क किया, जिसे दिनांक 16.02.2018 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी, जिसमें प्रतिवादी-भारत को एओ और सहायक लेखा अधिकारी के बीच बकाया मजदूरी/पारिश्रमिक के अंतर का भुगतान करने

का निर्देश दिया गया था, जो आवेदक द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एओ, आईसीओ (एसबी), सर्कल कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करता है। जो तत्काल रिट याचिका का विषय है।

7. तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी आवेदक को सहायक लेखा अधिकारी (एएओ) के रूप में पर्याप्त क्षमता में ड्यूटी करते समय लेखा अधिकारी के रिक्त पद पर स्थानापन्न क्षमता में ड्यूटी करने के लिए कहा गया था। आईसीओ (एसबी) मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, झारखंड सर्कल के कार्यालय में 16.12.2015 से प्रभावी।

8. इसके बाद, आवेदक-प्रतिवादी ने 11.01.2016 को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद का कार्यभार संभाला । आवेदक ने बार-बार अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अपने वेतन और ग्रेड वेतन के 5400/- रुपये के निर्धारण का अनुरोध किया है, क्योंकि उसे एओ/सीनियर एओ, आईसीओ (एसबी), झारखंड सर्कल के पद पर तैनात किया गया है और तब से वह एओ कैडर के पद के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। जिसके खिलाफ, मूल आवेदन ओ.ए. संख्या ओ.ए. संख्या 051/185/2016 है, जिसे अनुमति दी गई थी, जिसके खिलाफ प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा तत्काल रिट याचिका दायर की गई है।

<u>प्रार्थीगणों -भारत संघ द्वारा उठाए गए आधार:</u>

9. श्री अनिल कुमार, विद्वान एएसजीआई, <u>प्रार्थीगणों</u> -उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होते हुए आक्षेपित आदेश का विरोध करते हुए निम्नलिखित आधार लेते हैं:

I. आदेश का आधार जिसके द्वारा और जिसके तहत आवेदक को अपना कर्तव्य निभाने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विशिष्ट शर्त बनाई गई है कि अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करने का ऐसा निर्देश बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के किया गया है, लेकिन उपरोक्त शर्त पर विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया है, इसलिए आक्षेपित आदेश पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है।

II. आवेदक-प्रतिवादी ने एक बार दिनांक 17.12.2015 के पूर्वोक्त आदेश को स्वीकार कर लिया था और इस तरह यह उसके लिए उपलब्ध नहीं है कि वह पलट जाए और पूर्वोक्त अवधि के लिए वेतन की बकाया राशि के संवितरण के लिए निर्देश प्राप्त कर सके, जिसके लिए उसने लेखा अधिकारी का कर्तव्य निभाया था, हालांकि विशिष्ट शर्त है जिस पर किसी

भी समय सवाल नहीं उठाया गया है। इस प्रकार, पूर्वोक्त शर्त को ध्यान में रखते हुए और प्रतिवादी-आवेदक द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद, उसे लेखा अधिकारी के साथ वेतनमान प्राप्त करने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन मामले के इस पहलू पर भी विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया है।

III. यह आधार लिया गया है कि जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है अर्थात् पंजाब राज्य बनाम पंजाब राज्य बनाम पंजाब राज्य बनाम धरम पाल [(2017) 9 एससीसी 395] और पंजाब राज्य बनाम बीके धीर [(2017) 2 एससीसी (एल एंड एस) 847] अलग-अलग तथ्यों पर है, लेकिन उसी की जांच किए बिना, इसे इस मामले में लागू किया गया है। इसलिए इस आधार पर भी ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

<u>मूल आवेदक-प्रतिवादी द्वारा उठाए गए आधार:</u>

10. प्रतिवादी-मूल आवेदक के विद्वान वकील ने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का बचाव करने में निम्नलिखित आधार लिया है:

I. हालांकि शर्त यह है कि 'बिना किसी पारिश्रमिक के' लेकिन ऐसी शर्त लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के साथ संलग्न वेतनमान से इनकार करने पर विचार करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आवेदक को उस समय उच्च पद की जवाबदेही सौंप दी गई है, फिर पंजाब राज्य बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) और पंजाब राज्य बनाम बीके धीर (ऊपर वर्णित) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार , वही प्रतिवादी-आवेदक उच्च पद से संलग्न वेतनमान प्राप्त करने का हकदार हो गया है जब तक कि वह उक्त पद धारण नहीं कर लेता। विद्वान न्यायाधिकरण ने उन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ताओं को वेतन की बकाया राशि जारी करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया है, जिसे त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

II. यह तर्क दिया गया है कि नियम में जो शर्त निर्धारित की गई है कि बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के मामले के पूर्वोक्त पहलू को पंजाब राज्य बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही ध्यान में रखा जा चुका है और अत विद्वान अधिकरण ने इस मामले में अनुपात लागू करते समय कोई त्रुटि नहीं की है।

विश्लेषण:

11. यह न्यायालय, पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, निम्नलिखित मुद्दों का जवाब देने के लिए आवश्यक समझता है:

तैयार किए गए मुद्दे:

I. क्या मूल आवेदक को सहायक लेखा अधिकारी के मूल पद पर रहते हुए उच्चतर पद के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी के उच्च पद से संलग्न वेतनमान का हकदार माना जाता है?

II. क्या मूल आवेदक की हकदारी, जो प्रतिवादी आवेदक के पक्ष में पाई गई है, को नियम 35 के साथ पठित मौलिक नियम के नियम 49 के प्रावधान के विपरीत कहा जा सकता है?

III. क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य के मामले में किए गए विचार से अलग कहा जा सकता है जो पंजाब बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) और राज्य पंजाब बनाम बीके धीर (ऊपर वर्णित) में परिलक्षित है?

कानून के प्रावधान:

12. चूंकि सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर नीचे चर्चा करने के लिए एक साथ चर्चा की गई है।

13. लेकिन उक्त मुद्दों पर विचार करने से पहले इसे वर्तमान मामले के तथ्यों यानी मौलिक नियमों के नियम 49 में लागू प्रासंगिक प्रावधानों को यहां संदर्भित करने की आवश्यकता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने ऐसे मामलों में एक या अधिक पदों के प्रभार रखने के लिए नियुक्तियों के संयोजन और वेतन के विनियमन के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं। मौलिक नियम 49 {एफ.आर. 49} में शामिल इन अनुदेशों को संदर्भ और मार्गदर्शन के लिए यहां समेकित किया गया है:

"एफ.आर. 49 केंद्र सरकार पहले से ही एक स्थायी या स्थानापन्न क्षमता में एक पद धारण कर रहे कार्मिक को , एक अस्थायी उपाय के रूप में, एक समय में एक या अधिक अन्य

स्वतंत्र पदों पर नियुक्त कर सकती है। ऐसे मामलों में, उसका वेतन निम्नानुसार विनियमित किया जाता है: -

(i) जहां किसी सरकारी कर्मचारी को उसके सामान्य कर्तव्यों के अलावा उसी पद पर उसी पद पर और उसी संवर्ग/पदोन्नति में उच्च पद के कर्तव्यों का पूरा प्रभार धारण करने के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है, वहां उसे स्वीकार्य वेतन की अनुमति दी जाएगी, यदि वह उच्च पद पर स्थानापन्न नियुक्त किया जाता है, जब तक सक्षम प्राधिकारी नियम 35 के तहत अपने स्थानापन्न वेतन को कम नहीं करता है; लेकिन किसी अतिरिक्त वेतन की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि, निचले पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए;

(ii) जहां एक सरकारी कर्मचारी को औपचारिक रूप से एक ही कार्यालय में एक ही संवर्ग में दो पदों के दोहरे प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसमें समान वेतनमान होते हैं, दोहरे प्रभार की अवधि के बावजूद कोई अतिरिक्त वेतन स्वीकार्य नहीं होगा, बशर्ते कि, यदि सरकारी कर्मचारी को एक अतिरिक्त पद पर नियुक्त किया जाता है जिसमें एक विशेष वेतन होता है, उसे इस तरह के विशेष वेतन की अनुमति दी जाएगी;

(iii) जहां किसी सरकारी कर्मचारी को किसी अन्य पद या पदों का प्रभार संभालने के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है जो उसी पद या पदों पर है या नहीं है, या जो, हालांकि उसी कार्यालय में है, उसी संवर्ग/पदोन्नति में है या नहीं है, तो उसे उच्च पद या उच्चतम पद का वेतन अनुज्ञात किया जाएगा, यदि वह अतिरिक्त पद या पदों के उपकल्पित वेतन के दस प्रतिशत के अतिरिक्त दो से अधिक पदों का प्रभार धारण करता है, यदि अतिरिक्त प्रभार 1[45] दिनों से अधिक की अवधि के लिए धारित किया जाता है, किंतु 3 मास से अनधिक की अवधि के लिए धारित किया जाता है, बशर्ते कि यदि किसी विशेष मामले में, यह आवश्यक समझा जाता है कि सरकारी सेवक को 03 मास से अधिक की अवधि के लिए किसी अन्य पद या पद का प्रभार धारण करना चाहिए, 1 [कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग] की सहमति 03 महीने की अवधि से परे अतिरिक्त वेतन के भुगतान के लिए प्राप्त की जाएगी;

(iv) जहां एक अधिकारी औपचारिक रूप से किसी अन्य पद का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार रखने के लिए नियुक्त किया जाता है, वेतन और अतिरिक्त वेतन का योग किसी भी स्थिति में[2] [2,25,000 रुपये] से अधिक नहीं होगा;

(v) ऐसे सरकारी कर्मचारी को कोई अतिरिक्त वेतन स्वीकार्य नहीं होगा जिसे अतिरिक्त प्रभार की अवधि पर ध्यान दिए बिना किसी अन्य पद या पदों के नेमी कर्तव्यों का वर्तमान प्रभार धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता है;

(vi) यदि प्रतिपूरक या सत्कार भत्ते एक या अधिक पदों से संलग्न होते हैं तो सरकारी सेवक ऐसे प्रतिपूरक या सत्कार भत्ते आहरित करेगा जो केन्द्रीय सरकार नियत करे परंतु ऐसे भत्ते सभी पदों से संबद्ध प्रतिपूरक और सत्कार भत्तों की कुल राशि से अधिक नहीं होंगे।

14. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि नियम 49 केंद्र सरकार को एक सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार देता है, जो पहले से ही एक स्थायी या स्थानापन्न क्षमता में एक पद धारण कर रहा है, अस्थायी उपाय के रूप में, एक समय में एक या अधिक अन्य स्वतंत्र पदों पर "सरकार के अधीन"। इस नियम में परिस्थितियों और उस सीमा को भी निर्धारित किया गया है जिस सीमा तक सरकारी सेवक सरकार के अधीन किसी अन्य पद का पूसक्षम प्राधिकारी और अधिकारी को अतिरिक्त पद पर नियुक्त करने के औपचारिक आदेश जारी किए जाने चाहिए। नियुक्ति पर, अधिकारी को अतिरिक्त पारिश्रमिक की अनुमति दी जानी चाहिए।

15. मौलिक नियम 49 (i) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जब किसी अधिकारी को वैधानिक कार्यों सहित अन्य पद के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, तो मामले को संसाधित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए अतिरिक्त पद पर अधिकारी की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी और औपचारिक आदेश जारी किए जाने चाहिए। नियुक्ति पर, अधिकारी को एफ. आर. 49 में बताए अनुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक की अनुमति दी जानी चाहिए।

16. इसके अलावा यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि मौलिक नियम 49 एक शर्त का ख्याल रखता है यदि प्रावधान 49 (i), (iii) और (v) के तहत निहित एक साथ लिया जाएगा। यह स्पष्ट है कि मौलिक नियम 49 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार को पहले से ही एक सरकारी कर्मचारी को अस्थायी उपाय के रूप में, एक समय में एक या अधिक अन्य स्वतंत्र

पदों पर, एक अस्थायी उपाय के रूप में, नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है और उसके वेतन को निम्नानुसार विनियमित किया जाना है।

17. एफआर 49 (iii) के तहत निहित प्रावधान यह प्रदान करता है कि जहां एक सरकारी कर्मचारी को औपचारिक रूप से किसी अन्य पद या पदों का प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो उसी कार्यालय में है या नहीं है, या जो, हालांकि एक ही कार्यालय में है, एक ही कैडर / पदोन्नति की लाइन में है या नहीं है, तो उसे उच्च पद का वेतन दिया जाएगा, (क) यदि वह अतिरिक्त पद या पदों के प्रकल्पित वेतन के दस प्रतिशत के अतिरिक्त दो से अधिक पदों पर आसीन है तो यदि अतिरिक्त प्रभार 45 दिन से अधिक किंतु 3 मास से अनधिक अवधि के लिए धारित किया जाता है बशर्ते कि यदि किसी विशेष मामले में यह आवश्यक समळाा जाता है कि सरकारी सेवक 03 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी अन्य पद या पदों का प्रभार धारण करेगा महीने, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सहमति 03 महीने की अवधि से परे अतिरिक्त वेतन के भुगतान के लिए प्राप्त की जाएगी।

18. नियम मौलिक नियम 49 (v) के प्रावधान में यह प्रावधान है कि किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को कोई अतिरिक्त वेतन स्वीकार्य नहीं होगा, जिसे किसी अन्य पद या पदों के नियमित कर्तव्यों का वर्तमान प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है, भले ही अतिरिक्त प्रभार की अवधि कुछ भी हो।

19. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में यदि सरकारी कर्मचारी को किसी अन्य पद (पदों) का प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो वह उच्च पद से संलग्न वेतनमान प्राप्त करने का हकदार होगा। अतिरिक्त पद या पदों के अनुमानित वेतन के दस प्रतिशत के अलावा, यदि अतिरिक्त प्रभार 45 दिनों से अधिक लेकिन 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखा जाता है। हालांकि, अतिरिक्त वेतन के लिए स्वीकार्य होगा। सरकारी कर्मचारी जो अतिरिक्त वेतन पाने का हकदार है, जिसे अतिरिक्त प्रभार की अवधि के बावजूद किसी अन्य पद या पदों के नियमित कर्तव्यों का वर्तमान प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है।

20. मौलिक नियमों के नियम 35 से भी निपटने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार है:

"एफ.आर. 35 केंद्र सरकार इन नियमों के तहत स्वीकार्य राशि से कम राशि पर एक स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी का वेतन तय कर सकती है।"

21. नियम 35 का संदर्भ दिया जाना आवश्यक है क्योंकि 49 (i) के तहत मौलिक नियम 49 के प्रावधानों के मद्देनजर, यह प्रदान किया गया है कि यदि लोक सेवक को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी नियम 35 के तहत अपने स्थानापन्न वेतन को कम नहीं करता है; लेकिन कोई अतिरिक्त वेतन की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि, निचले पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए।

<u>न्यायिक निर्णय:</u>

22. इस न्यायालय को, पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधान पर चर्चा करने के बाद, इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक घोषणा को भी संदर्भित करने की आवश्यकता है ताकि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की सराहना की जा सके क्योंकि विद्वान न्यायाधिकरण ने पारित निर्णय के आधार पर प्रार्थना की अनुमति देते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है। पंजाब राज्य बनाम बीके धीर (ऊपर वर्णित) और पंजाब राज्य बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्णय दिया है।

23. पंजाब राज्य बनाम बीके धीर (ऊपर वर्णित) के मामले में , कंडिका 2 में, 2003 के एलपीए संख्या 198 में पारित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश के उद्धरण को संदर्भित किया गया है, जो निम्नानुसार है:

“2. … …. … "प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर सोच-समझकर विचार करने के बाद, हम अपीलकर्ता की प्रार्थना में योग्यता पाते हैं और इस विचार के हैं कि उसका मामला प्रीतम सिंह धालीवाल मामले [प्रीतम सिंह धालीवाल बनाम पंजाब राज्य, 2004 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 1428] में निर्णय के अनुपात में पूरी तरह से कवर किया गया है। यह ऐसा मामला नहीं था जहां अपीलकर्ता ने उसे दिए गए आधिकारिक दर्जे के आधार पर पदोन्नति का दावा किया था, लेकिन केवल उस वेतन के लिए प्रार्थना की थी जो उक्त पदों पर काम करने वाले पदधारियों और समान कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्वीकार्य था। इसलिए, यदि प्रतिवादियों ने संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक के रूप में उनसे काम लिया था, तो वह निश्चित रूप से उक्त पदों पर काम करने वाले नियमित पदधारियों के लिए स्वीकार्य वेतन के हकदार होंगे, भले ही उन पर कोई भी शर्त लगाई गई हो।“

24. तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे के अधिनिर्णय के बारे में तथ्य पर विचार किया है जिसमें

संबंधित कर्मचारी को उस अवधि के लिए संयुक्त निदेशक और अपर निदेशक, पंचायत के पद के वेतन का हकदार पाया गया है जिस अवधि के लिए उसने इस रूप में कार्य किया है।

25. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष राज्य ने यह रुख अपनाया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण सही था क्योंकि अपीलकर्ता को स्थानापन्न पदों पर तैनात करने के लिए पारित आदेशों में एक शर्त शामिल थी कि वह उप निदेशक के वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखेगा। इस परियोजना के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा और स्थानापन्न प्रभार के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह दावा किया गया कि संबंधित अधिकारी ने उक्त नियमों और शर्तों को प्रस्तुत किया था और कोई विरोध नहीं किया था।

26. यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ था और इस मुद्दे पर विचार करते समय, पंजाब राज्य और अन्य बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया है , जिसमें कंडिका 22 में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है: -

"22. वर्तमान मामले में, नियम वेतनमान देने पर रोक नहीं लगाते हैं। लाभ देने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय को पी. ग्रोवर [(1983) 4 एससीसी 291] और हरिओम शर्मा [(1998) 5 एससीसी 87] में निर्धारित सिद्धांतों से समर्थन मिलता है। जहां तक ए. फ्रांसिस [(2014) 13 एससीसी 283] में अधिकार का संबंध है, हम यह देखना चाहेंगे कि उक्त मामले को अपने तथ्यों पर आराम करना होगा। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आदेश में एक निगमन द्वारा या केवल सभी परिस्थितियों में एक वचन देने से किसी कर्मचारी को स्थानापन्न पद के लाभों का दावा करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हमें यह सोचने के लिए निपटाया जाता है कि विवाद हरिओम शर्मा [(1998) 5 एससीसी 87] में निर्धारित अनुपात द्वारा कवर किया गया है और परिणामस्वरूप हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण बिल्कुल त्रुटिहीन है।“

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, पी.ग्रोवर (श्रीमती) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [(1983) में दिए गए निर्णय के मद्देनजर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10-11-2008 के आदेश में दिनांक 10-11-2008 को एक मामले में दिनांक 10-11-2010 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । फ्रांसिस बनाम मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु का प्रबंधन [(2014) 13 एससीसी 283] यह धारण करने की कृपा की गई है कि पद धारण

करने की पात्रता का मुद्दा उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं लिया गया था और अपील का निपटान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि जब प्रतिवादी ने स्थानापन्न पद पर काम किया था और उच्च न्यायालय द्वारा लाभ प्रदान किया गया था, उसे यह टिप्पणी करते हुए उक्त लाभ दिया जाना चाहिए कि यदि प्रतिवादी की पात्रता पर कोई प्रतियोगिता होती, तो संभवतः मामला अलग होता और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया है।

28. हमने इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य मामले में दिए गए निर्णय को भी देखा है, अर्थात, पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) जिसमें शामिल विवाद स्थानापन्न क्षमता में कर्तव्य के निर्वहन के दौरान वेतन के वितरण के संबंध में था। पंजाब सिविल के नियम 4.13 और 4.22 का प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवा नियमों पर विचार किया गया है।

29. हमने, पंजाब राज्य में प्रचलित नियम 4.13 और 4.22 (सरकारी कर्मचारियों का वेतन) में निहित प्रावधानों की बारीकी से जांच करने के बाद, पाया है कि झारखंड सेवा संहिता, 2001 के नियम 89 और 103 के तहत निहित प्रावधान समरूप हैं।

30. तैयार संदर्भ के लिए दोनों प्रावधानों को तैयार किया जा रहा है, इसके तहत संदर्भित :-

" 4.13. (1) नियम 4.22 से 4.24 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई सरकारी कर्मचारी, जिसे किसी पद पर स्थानापन्न करने के लिए नियुक्त किया जाता है, किसी आवधिक पद से भिन्न, स्थायी पद के संबंध में अपने मूल वेतन से अधिक वेतन नहीं आहरित करेगा, जब तक कि वह पद जिसमें उसे स्थानापन्न नियुक्त किया गया है, इस नियम की अनुसूची में प्रगणित न हो या जब तक स्थानापन्न नियुक्ति में अधिक महत्व के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की धारणा शामिल न हो पद से जुड़े लोगों की तुलना में, एक कार्यकाल पद के अलावा जिस पर वह ग्रहणाधिकार रखता है:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी ऐसी किसी भी सेवा को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा जो समय-पैमाने के आधार पर संगठित नहीं है और जिसमें इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय ग्रेड से ग्रेड तक पदोन्नति की एक प्रणाली प्रवृत्त है:

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी किसी सेवा की साधारण पंक्ति से बाहर के पदों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसके धारक, इस नियम के उपबंधों के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सक्षम प्राधिकारी विहित करे, सेवा के संवर्ग में कोई स्थानापन्न पदोन्नति दी जा सकेगी जिसे पदोन्नति का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी विनिश्चय कर सकेगा और तत्पश्चात् वही वेतन (चाहे किसी विशेष वेतन के साथ या उसके बिना) अनुदत्त किया जा सकेगा, यदि कोई हो, तो ऐसे पदों से जुड़ा हुआ है) जैसा कि उन्हें प्राप्त होता यदि अभी भी सामान्य लाइन में है। (2) इस नियम के प्रयोजन के लिए, स्थानापन्न नियुक्ति को अधिक महत्व के कर्तव्यों या जिम्मेदारियों की धारणा को शामिल करने के लिए नहीं समझा जाएगा यदि वह पद जिस पर यह किया गया है, स्थायी पद के रूप में वेतन के समान पैमाने पर है, एक कार्यकाल पद के अलावा, जिस पर वह ग्रहणाधिकार रखता है, या उसके समान वेतन के पैमाने पर।“

***

4.22. सक्षम प्राधिकारी एक सरकारी कर्मचारी को एक समय में - 20 - अस्थायी उपाय के रूप में या दो या अधिक स्वतंत्र पदों पर कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ऐसे मामलों में, सरकारी कर्मचारी उच्चतम वेतन प्राप्त करेगा, जिसके लिए वह हकदार होगा यदि किसी एक पद पर उसकी नियुक्ति अकेले खड़ी हो:

बशर्ते कि कर्मचारी को दोनों पदों के लिए सेवाओं के लिए अपेक्षित योग्यता और शर्तों को पूरा करना होगा।“

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, कानून के पूर्वोक्त प्रावधानों पर विचार करने के बाद, कंडिका 13 में इस आशय की कृपा की गई है कि चूंकि प्रतिवादी उच्च पदों पर था और आगे, वह पदों से जुड़े उच्च जिम्मेदारी के कर्तव्यों का पालन कर रहा था, इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि नियम राज्य के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मजबूत नहीं करते हैं। अनुच्छेद 13

इस प्रकार है: -

"13. पूर्वोक्त नुस्खे की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि उक्त नियम पूरी तरह से एक अलग स्थिति की परिकल्पना करता है। वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स काफी अलग है। हम ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि प्रतिवादी उच्च पदों पर था और आगे

वह पदों से जुड़ी उच्च जिम्मेदारी के कर्तव्यों का पालन कर रहा था। इस प्रकार विश्लेषण करने पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नियम राज्य के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मजबूत नहीं करते हैं।

32. हालांकि, यहां संदर्भ को ए. फ्रांसिस बनाम प्रबंधन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडु (ऊपर वर्णित के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को यहां संदर्भित करने की आवश्यकता है कि निर्णय सचिव-सह-मुख्य अभियंता, चंडीगढ़ बनाम हरिओम शर्मा और अन्य (ऊपर वर्णित) में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया है, कंडिका 22 में यह धारण करने की कृपा की गई है कि फ्रांसिस मामले में तथ्य को अपने तथ्यों पर भरोसा करना होगा और उसके बाद यह स्पष्ट किया गया है कि आदेश में एक समावेश द्वारा या केवल सभी परिस्थितियाँ एक को रोक नहीं पाएंगी। कर्मचारी को स्थानापन्न पद के लाभों का दावा करने के लिए और आगे यह मानते हुए कि विवाद सचिव-सह-मुख्य अभियंता बनाम हरिओम शर्मा (ऊपर वर्णित) में निर्धारित अनुपात द्वारा कवर किया गया है और यह माना गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार बिल्कुल त्रुटिहीन है।

33. उक्त मामले में शामिल तथ्यात्मक पहलू यह था कि उक्त मामले के प्रतिवादी, अर्थात् धर्म पाल, को अधीक्षक ग्रेड- II (स्थानापन्न क्षमता में) के रूप में पदोन्नत किया गया था, इस आदेश में निर्धारित शर्त के साथ कि स्वयं के वेतनमान और उससे ऊपर पदोन्नति में आधिकारिक कार्य विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के अधीन होगा जैसा कि पूर्वोक्त निर्णय के कंडिका - 7 और 8 से प्रकट होगा, जो इस प्रकार है: -

"7. शुरुआत में, यह कहना प्रतीत होता है कि नियुक्तियों या पदों के संबंध में कोई तथ्यात्मक विवाद नहीं है। यह स्थिति होने के नाते, हम नियुक्ति के आदेशों का उल्लेख करना उचित समझते हैं क्योंकि सुश्री बब्बर, पंजाब राज्य के विद्वान वकील, उसी पर वीणा करेंगे। आदेश दिनांक 9-12-2004 इस प्रकार है:

"आदेश

श्रीमती चन्द प्रभा, अधीक्षक ग्रे्रड-I की 31-7-2004 को सेवानिवृत्ति पर अधीक्षक ग्रे्रड-I का पद रिक्त हो गया था। उस रिक्त पद पर अधीक्षक ग्रेड-2 श्री केवल सिंह को उनके ही वेतनमान में अधीक्षक ग्रे्रड-1 के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

श्री केवल सिंह, अधीक्षक ग्रेड II के अधीक्षक ग्रेड I के रूप में पदोन्नति के कारण और श्री भिन्दर सिंह, अधीक्षक ग्रेड II के अर्जित अवकाश पर कार्यवाही के कारण 7-9-2004 से श्री अश्विनी कुमार वरिष्ठ सहायक (कार्यवाहक अधीक्षक ग्रेड II) और श्री धर्म पाल (कार्यवाहक अधीक्षक ग्रेड II) को अधीक्षक ग्रेड II के रूप में पदोन्नत किया जाता है। अधिकारी अपने स्वयं के वेतनमान में काम करेंगे और उपरोक्त पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अधीन होगी। उक्त समिति के अनुमोदन पर उन्हें वित्तीय लाभ दिया जाएगा।

इन आदेशों के आधार पर अधिकारी किसी भी वरिष्ठता आदि का दावा नहीं करेंगे। पूर्वोक्त आदेश के आधार पर, प्रतिवादी ने कार्यवाहक अधीक्षक ग्रेड II के रूप में कार्य किया।

8. जैसा कि पहले कहा गया है, जब वह उक्त पद पर कार्य कर रहे थे, तब उन्हें अधीक्षक ग्रेड I के पद पर कार्य करने के लिए स्थानापन्न आधार पर पदोन्नत किया गया था। उक्त आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

“अधिकारी अपने पहले के वेतनमान में काम करेंगे और उपरोक्त पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अधीन होगी। उक्त समिति के अनुमोदन पर उन्हें वित्तीय लाभ दिया जाएगा। इन आदेशों के आधार पर अधिकारी किसी भी वरिष्ठता आदि का दावा नहीं करेंगे।“

34. इसके बाद का मामला डाक विभाग के अंतर्गत है जिसके लिए मौलिक नियमों का प्रावधान लागू है।

35. पंजाब राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात का आकलन करने के लिए यह न्यायालय पंजाब राज्य बनाम बीके धीर (ऊपर वर्णित) और पंजाब राज्य बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) जिसमें नियम 49 के समरूप सामग्री नियम पर विचार किया गया है और उसी के आधार पर, निर्णय दिया गया है, का विचार है कि मौलिक नियमों के अनुसार वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में लागू प्रावधान की सराहना की जानी चाहिए। इसके अलावा इस कारण से कि विद्वान अतिरिक्त एसजीआई ने भी मौलिक नियमों के नियम 49 के प्रावधानों पर भरोसा किया है, जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है।

36. इस न्यायालय ने उस प्रावधान का आकलन करने के बाद, जिस पर पंजाब राज्य बनाम धरम पाल (उपर्युक्त) में पारित निर्णय दिया गया है, जो इस पर आधारित है - पंजाब राज्य में लागू सेवा संहिता के अधीन यथा अंतर्विष्ट उपबंध, राज्य सरकार से संबंधित

लोक सेवक, जैसा कि नियम 4.22 और नियम 4.23 के अधीन उपबंध किया गया है, उस उपबंध के समान है जैसा कि मूल नियम 49 विशेष रूप से III और V के अधीन उपबंध किया गया है।

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) के मामले में यह व्यवस्था दी है कि संबंधित लोक सेवक द्वारा धारित मूल पद से अधिक पद पर कर्तव्य के निर्वहन के मामले में, उस अवधि के लिए जिसके लिए ऐसे लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए कहा गया है, वह उक्त पद से संलग्न वेतनमान प्राप्त करने का हकदार होगा।

38. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि पंजाब राज्य बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय प्रतिवादी-मूल आवेदक के मामले को कवर करता है।

39. चूंकि यहां भी प्रतिवादी-मूल आवेदक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिए जाने के आदेश से यह स्पष्ट होगा कि यद्यपि प्रतिवादी-मूल आवेदक सहायक लेखा अधिकारी के मूल पद पर था, लेकिन उसे उच्च पद के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस शर्त के साथ कि कोई अतिरिक्त वेतन उस पद के लिए स्वीकार्य नहीं होगा जिस पर उसे कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिया जा रहा है, अर्थात, लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी।

तैयार संदर्भ के लिए, उक्त पत्र की सामग्री को इसके तहत उद्धृत किया गया है:

"इस कार्यालय आदेश सं 1/2006 के आंशिक संशोधन में। (ii) लेखा अधिकारी (प्रभारी)/आईसीओएसबी के रूप में कार्य करने के लिए श्री रतन कुमार कपूर, एएओ/पीसीडी को सीपीएमजी, झारखंड सर्कल, रांची के कार्यालय में स्थानांतरित करने के संबंध में प्रशासन 1/155। संशोधित नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1.श्री रतन कुमार कपूर, एएओ/पीसीडी बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के पद के कर्तव्यों की देखभाल करेंगे ।

2. वह स्वीकार्य नियमों के अनुसार टीए/डीए का हकदार होगा।

बाकी सब वही रहेगा।“

40. उक्त आदेश के बाद से यह निर्धारित किया गया है कि प्रतिवादी आवेदक को उच्च पद पर कर्तव्य का निर्वहन करना है, हालांकि मूल आधार पर नहीं बल्कि एक अस्थायी उपाय के रूप में। लेकिन उक्त उच्च पद पर ड्यूटी के निर्वहन के अलावा ड्यूटी का निर्वहन करने का कोई निर्देश नहीं है । इसका अर्थ है कि प्रतिवादी-मूल आवेदक को निर्देश दिया गया है, भले ही वह सहायक खातों के मूल पद पर था। अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी को कर्तव्य के निर्वहन के अतिरिक्त नहीं बल्कि विशेष रूप से लेखा अधिकारी के पद पर कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए।

41. पूर्वोक्त आदेश में की गई विशिष्ट शर्त को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से III और V के तहत नियम 49 के प्रावधान पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थितियों में भी नियम यह प्रदान करता है कि ऐसे लोक सेवक को उच्च पदों के वेतन की अनुमति दी जानी है। इस प्रकार, इस न्यायालय का विचार है कि तथ्यात्मक पहलू के आधार पर, विशेष रूप से वह आदेश जिसके द्वारा प्रतिवादी-मूल आवेदक को लेखा अधिकारी के पद पर अस्थायी उपाय पर कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया था, लेखा अधिकारी के उच्च पद के वेतनमान को तब तक स्वीकार्य माना जाता है जब तक कि वह पहले से ही पद पर नहीं रह जाता, पंजाब राज्य बनाम धर्मपाल (ऊपर वर्णित) के मामले में पारित निर्णय को देखते हुए।

42. विद्वान एएसजीआई द्वारा दिनांक 17.12.2015 के आदेश में निर्धारित शर्त का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि इसमें विशिष्ट शर्त है कि उच्च वेतन की कोई स्वीकार्यता नहीं होगी। इस प्रकार यह निवेदन किया गया है कि चूंकि आदेश में ही शर्त है कि प्रतिवादी-मूल आवेदक उच्च पद से संलग्न वेतनमान का हकदार नहीं होगा, इसलिए प्रतिवादी-मूल आवेदक लेखा अधिकारी के पद के वेतनमान का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

43. लेकिन इस मुद्दे पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम बीके धीर (ऊपर वर्णित) के मामले में विचार किया गया है, जिसमें शर्त के मुद्दे पर विचार किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि किसी भी शर्त के मामले में ऐसी परिस्थितियों में उच्च पद से जुड़े वेतनमान का हकदार बनाना उचित नहीं होगा।

44. तथ्यात्मक पहलू और कानूनी स्थिति पर चर्चा करने के बाद, जैसा कि ऊपर है, और विद्वान ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश पर वापस आने के बाद, इस न्यायालय ने पाया है कि

पंजाब राज्य और अन्य बनाम धरम पाल (ऊपर वर्णित) और पंजाब राज्य बनाम बी. के. धीर (ऊपर वर्णित) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आधार पर मूल आवेदन की अनुमति दी गई है।

45. यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि इसी मामले का निर्णय इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा झारखंड राज्य और अन्य बनाम बनेश्वर रबिदास [2019 का एलपीए नंबर 735] पंजाब राज्य और अन्य बनाम भारत संघ के मामलों में दिए गए फैसले पर भरोसा करके। पंजाब राज्य बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) और पंजाब राज्य बनाम बीके धीर (ऊपर वर्णित) ने उसमें निम्नानुसार धारण किया है:

"हमने दिए गए मामले में शामिल तथ्यात्मक पहलू पर विचार किया है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को 26.07.2007 से 25.07.2011 तक की अवधि के लिए अधीक्षण अभियंता (वर्तमान प्रभार) के रूप में अपना कर्तव्य निभाने का निर्देश दिया गया है और उसके बाद 26.07.2011 से 30.04.2013 को अपनी सेवानिवृत्ति तक की अवधि के लिए मुख्य अभियंता (वर्तमान प्रभार) के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहा गया है। हालांकि इस शर्त के साथ कि वह अपने पहले के वेतनमान में काम करेगा और उसकी पदोन्नति नियमित पदोन्नति के लिए लिए जाने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी और इसलिए, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, पंजाब राज्य और अन्य बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) में शामिल तथ्यात्मक पहलू लगभग तत्काल मामले के समान है और नियम का प्रावधान भी है जो कि पक्षकार भी समरूप हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसलिए, अपीलकर्ता-राज्य द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को उलटने के लिए जो आधार उत्तेजित किया गया है कि क्योंकि रिट याचिकाकर्ता को कभी भी अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है, बल्कि वह कार्यकारी अभियंता की मूल क्षमता में पद धारण कर रहा था और इस तरह, वह अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के पद का वेतनमान प्राप्त करने का हकदार नहीं है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है कि इस मुद्दे को पंजाब राज्य और अन्य बनाम धर्म पाल (ऊपर वर्णित) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है ।

इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश तब से एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिट याचिकाकर्ता को अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के पद का वेतनमान प्राप्त करने के साथ-साथ अंतिम आहरित वेतन के आधार पर पेंशन के निर्धारण

के लिए भी हकदार ठहराया गया है, अर्थात, मुख्य अभियंता के पद से जुड़ा वेतनमान, इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है।"

46. इसमें आगे यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि प्रतिवादी राज्य झारखंड ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील (सी) संख्या (एस) 4104/2022 के लिए विशेष अनुमति होने के कारण पूर्वोक्त आदेश के खिलाफ एसएलपी को प्राथमिकता दी है। जिसे दिनांक 16.03.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

47. इसलिए, इस न्यायालय ने, यहां ऊपर की गई चर्चा के आधार पर, यह विचार किया है कि यदि तथ्यों और परिस्थितियों में, विशेष रूप से प्राधिकरण [रिट याचिकाकर्ता] प्रतिवादी मूल आवेदक को एक अस्थायी उपाय पर लेखा अधिकारी के रूप में कर्तव्य निभाने का निर्देश देते हुए, लेखा अधिकारी के पद से जुड़े वेतन का दावा, यदि यह दावा किया जा रहा है तो इसे उचित माना गया है और मामले के उस दृष्टिकोण में, विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी को निर्देश देते हुए आदेश पारित किया है, रिट याचिकाकर्ताओं को उस अवधि के लिए वेतन/पारिश्रमिक के अंतर की बकाया राशि जारी करने के लिए कहा गया है जिसके लिए प्रतिवादी आवेदक ने अस्थायी उपाय पर लेखा अधिकारी के पद पर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है।

48. यह न्यायालय विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर रहा है और कानून एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य में दिए गए निर्णय के अनुसार अच्छी तरह से तय है, (1997) 3 एससीसी 261 में रिपोर्ट किया गया है जिसके तहत और जिसके तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति से निपटा गया है जिसका प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, पूर्वोक्त निर्णय के प्रासंगिक कंडिका को तैयार संदर्भ के लिए उद्धृत किया जा रहा है और इसके तहत संदर्भित किया जा रहा है: -

"99. हमारे द्वारा अपनाए गए तर्क के मद्देनजर, हम मानते हैं कि अनुच्छेद 323-क के खंड 2 (घ) और अनुच्छेद 323-ख के खंड 3 (घ), इस हद तक कि वे संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करते हैं, असंवैधानिक हैं। अधिनियम की धारा 28 और अनुच्छेद 323-क और 323-ख के तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी कानूनों में "अधिकार क्षेत्र का अपवर्जन" खंड उसी हद तक असंवैधानिक होगा। संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उच्च

न्यायालयों को और अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार हमारे संविधान के अलंघनीय मूल ढांचे का एक भाग है। हालांकि इस क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, अन्य न्यायालय और न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करने में पूरक भूमिका निभा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 323-A और अनुच्छेद 323-B के तहत बनाए गए ट्रिब्यूनल वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए सक्षम हैं। तथापि, इन अधिकरणों के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष संवीक्षा के अध्यधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिकरण आता है। तथापि, अधिकरण कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में प्रथम दृष्टया न्यायालयों की तरह कार्य करना जारी रखेंगे जिनके लिए उनका गठन किया गया है। इसलिए, वादियों के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे उन मामलों में भी सीधे उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे संबंधित अधिकरण के अधिकार क्षेत्र की अनदेखी करके वैधानिक विधानों की शक्तियों पर सवाल उठाते हैं (सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां विशेष अधिकरण बनाने वाले कानून को चुनौती दी जाती है)। अधिनियम की धारा 5 (6) वैध और संवैधानिक है और जिस तरह से हमने संकेत दिया है, उसकी व्याख्या की जानी चाहिए।

45. यह न्यायालय इस तथ्य के साथ-साथ कानूनी स्थिति पर भी चर्चा करने के बाद अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदान की गई न्यायिक समीक्षा के दायरे के बारे में चर्चा करने के लिए आगे बढ़ रहा है।

46. हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक और अन्य, एआईआर 1955 सुप्रीम कोर्ट 233 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका संख्या 21 में निम्नानुसार आयोजित किया है: -

"उत्प्रेषण रिट के चरित्र और दायरे और उन शर्तों के संबंध में जिनके तहत इसे जारी किया जा सकता है, निम्नलिखित प्रस्तावों को स्थापित किया जा सकता है: (1) क्षेत्राधिकार की त्रुटियों को ठीक करने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाएगा, जैसे कि जब कोई अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण क्षेत्राधिकार के बिना या उससे अधिक कार्य करता है, या इसका प्रयोग करने में विफल रहता है। (2) उत्प्रेषण रिट तब भी जारी की जाएगी जब न्यायालय या अधिकरण अपने निस्संदेह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से कार्य करता है, जैसे कि जब वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेता है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। (3) न्यायालय एक पर्यवेक्षी और अपीलीय

क्षेत्राधिकार के अभ्यास में उत्प्रेषण कृत्यों की रिट जारी करना। इसका एक परिणाम यह है कि न्यायालय अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं करेगा, भले ही वे गलत हों। यह इस सिद्धांत पर है कि एक न्यायालय जिसके पास किसी विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र है, उसके पास गलत और सही निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, और जब विधायिका उस निर्णय के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करने का विकल्प नहीं चुनती है, तो यह अपने उद्देश्य और नीति को विफल कर देगा, यदि एक उच्चतर न्यायालय साक्ष्य पर मामले की फिर से सुनवाई करता है और उत्प्रेषण में अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करता है।

47. सवर्ण सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1976) 2 एससीसी 868 में , उनके लॉर्डशिप ने, उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट की शक्ति पर चर्चा करते हुए, कंडिका संख्या 12 और 13 को निम्नानुसार धारण करने की कृपा की है: -

"12. प्रचारित तर्कों से निपटने से पहले, उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार की अधिकारिता की सीमाओं को इंगित करने वाले सामान्य सिद्धांतों पर ध्यान देना उपयोगी होगा, जिसका प्रयोग केवल अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा किए गए क्षेत्राधिकार की त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जा सकता है। उत्प्रेषण रिट केवल पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में जारी की जा सकती है जो अपीलीय क्षेत्राधिकार से अलग है। अनुच्छेद 226 के तहत विशेष क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने सैयद याकूब के मामले (ऊपर वर्णित) में बताया था।

13. एक अवर न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य की खोज के संबंध में, उत्प्रेषण की एक रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब इस तरह की खोज को रिकॉर्ड करने में, न्यायाधिकरण ने साक्ष्य पर कार्रवाई की है जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है, या स्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, या यदि खोज किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में त्रुटि कानून की त्रुटि के बराबर है। रिट क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक फैला हुआ है जहां निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र से अधिक आदेश पारित किए जाते हैं या उनके द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप या वे अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से या अनुचित रूप से कार्य करते हैं जिससे न्याय की गंभीर गर्भपात होती है।

48. हेंज इंडिया (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2012) 5 एससीसी 443 में , उनके लॉर्डशिप कंडिका संख्या 66 और 67 पर निम्नानुसार धारण करने की कृपा की गई है: -

"66. न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग से निपटने वाली अदालत विधायिका या कार्यकारी या उनके एजेंटों के लिए अपने फैसले को या तो प्रांत के भीतर के मामलों के रूप में प्रतिस्थापित नहीं करती है, और यह कि अदालत अपनी समीक्षा द्वारा "विशेषज्ञ की भावना" को प्रतिस्थापित नहीं करती है, इस न्यायालय के निर्णयों से भी काफी अच्छी तरह से तय है। ऐसे सभी मामलों में न्यायिक जांच यह पता लगाने तक सीमित है कि क्या तथ्यों के निष्कर्षों का साक्ष्य पर उचित आधार है और क्या ऐसे निष्कर्ष देश के कानूनों के अनुरूप हैं।

67. धरंगधारा केमिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम सौराष्ट्र राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने माना कि तथ्य के एक प्रश्न पर एक न्यायाधिकरण का निर्णय, जिसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में सवाल उठाने योग्य नहीं है, जब तक कि इसे किसी भी साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से असमर्थित नहीं दिखाया जाता है। इसी आशय का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा थानसिंह नाथमल मामले में लिया गया है, जहां इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय आम तौर पर उन सवालों का निर्धारण नहीं करता है जिनके लिए रिट का दावा करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए साक्ष्य की विस्तृत परीक्षा की आवश्यकता होती है।

49. पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा के मामले में आयोग और अन्य बनाम अब्दुल हलीम और अन्य (2019) 18 एससीसी 39 में रिपोर्ट किए गए , उनके लॉर्डशिप को कंडिका नंबर 30 पर रखने के लिए निर्धारित किया गया है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के बाद किया जाना चाहिए कि आक्षेपित रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि से दूषित है और तर्क की प्रक्रिया द्वारा इसे स्थापित नहीं किया गया है, पूर्वोक्त निर्णय का पैरा -30 निम्नानुसार है: -

"30. न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को यह देखना है कि क्या आक्षेपित निर्णय कानून की स्पष्ट त्रुटि से दूषित है। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि से कोई निर्णय दूषित है, यह है कि क्या त्रुटि रिकॉर्ड के तथ्य पर स्वयं स्पष्ट है या क्या त्रुटि को स्थापित करने के लिए परीक्षा या तर्क की आवश्यकता है। यदि किसी त्रुटि को तर्क की प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है,

तो उन बिंदुओं पर जहां यथोचित रूप से दो राय हो सकती हैं, इसे रिकॉर्ड के तथ्य पर त्रुटि नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन में एआईआर 1960 एससी 137 में रिपोर्ट किया गया था। यदि एक वैधानिक नियम का प्रावधान दो या दो से अधिक निर्माणों के लिए यथोचित रूप से सक्षम है और एक निर्माण को अपनाया गया है, तो निर्णय रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला नहीं होगा। यह केवल एक प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट गलत व्याख्या है, या उसकी अज्ञानता या अवहेलना, या उन कारणों पर आधारित निर्णय है जो कानून में स्पष्ट रूप से गलत हैं, जिसे रिट कोर्ट द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी करके ठीक किया जा सकता है।

50. टीसी बसप्पा बनाम टी. नागप्पा के मामले में (1955) 1 एससीआर 250 में रिपोर्ट किया गया, उनकी लॉर्डशिप का मानना है कि एक निर्णय में पेटेंट त्रुटि को उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, जब यह चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि से प्रकट होता हैकार्यवाही। पूर्वोक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां उद्धृत किया गया है: -

“10. … … निर्णय या निर्धारण में एक त्रुटि स्वयं भी उत्प्रेषण की रिट के लिए उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन यह कार्यवाही के तथ्य पर स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए, उदाहरण के लिए जब यह कानून के प्रावधानों की स्पष्ट अज्ञानता या अवहेलना पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में, यह एक स्पष्ट त्रुटि है जिसे उत्प्रेषण द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन केवल गलत निर्णय नहीं। …”

51. इस न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार करते हुए और न्यायिक समीक्षा के दायरे को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया है कि ऊपर की गई चर्चा के अनुसार इस रिट याचिका में आक्षेपित ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को गलत नहीं कहा जा सकता है।

तदनुसार, तत्काल याचिका में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज कर दिया गया है।

लंबित वादकालीन आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान कर दिया गया है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(अरुण कुमार राय,न्यायमूर्ति)

ए.एफ.आर.

यह अनुवाद (मदन मोहन प्रिय), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।